प्रकरण संख्या 2/2020 श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम सुरजमल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धाणी धटाऊ में आराजी नंबर 163 रकबा 11 बिस्वा एवं 164 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज हो कर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के मूल खातेदार विपक्षीगण के पिता स्वर्गीय भगवान जी पिता कुरजी रेबारी एवं स्वर्गीय कुरजी पिता चतरा जी रेबारी द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 23.12.1987 को विक्रय प्रतिफल 1,35,000/– हजार में प्रार्थी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से प्रार्थी अनवरण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन विपक्षीगण के पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके मन में बदनियती आ गयी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के बहकावे में आकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अतः विपक्षीगण को इस आशय की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजियात का विक्रय, बन्धक, दान या अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें। विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण विवादित भूमि के रजिस्टर्ड खातेदार होकर काबिज है। प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री शैलेष [illegible] उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 02.05.2020 को हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये तथा सुनवाई हेतु दिनांक 01.04.2019 की पेशी नियत की गयी। इसके पश्चात् जवाब हेतु अन्य तारीख मुर्करर की जाती रही, जिसमें दिनांक 27.05.2019 एवं 15.07.2019 के अलावा अन्य तारीखों पर उपखण्ड अधिकारी महोदय कार्य में व्यस्त रहे। दिनांक 23.10.2019 को पद रिक्त होने से व दिनांक 18.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी महोदय कार्य में व्यस्त होने से प्रतिवादीगण का जवाब नहीं हो पाया, जिस पर दिनांक 08.01.2020 को जवाब हेतु तारीख मुर्करर की गयी। उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा दिनांक 05.02.2020 को निश्चित रूप से पत्रावली में जवाब प्रस्तुत करने हेतु उन्हें पाबन्द किया गया। दिनांक 05.02.2020 को प्रतिवादीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया, किन्तु प्रतिवादीगण को पता चला कि दिनांक 08.01.2020 को ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वे रेकार्डेड खातेदार होकर अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है, अतः अपील स्वीकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलान्टगण को बिना सुने उनके विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी/अपीलान्टगण विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने एवं उनका बिना जवाब लिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.01.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण का जवाब लेकर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
[illegible]न्ध अधिकारी
एवं [illegible]न [illegible]स्व अपील अधिकारी
[illegible]दयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested